

THE WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 2021

Why in the News?

Recently, The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021 was passed by Lok Sabha to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.

Key Points

The Wildlife (Protection) Act, 1972

Objectives:

- Prevent the hunting of wild animals and various species of birds and punish the violators of rules and regulations.
- Protect the endangered species.
- Provide shelter and protection.
- Ban trade and commerce of certain protected species.
- Preserve the diversity of flora and fauna of the country
- Maintain a healthy ecological balance.

Constitutional Provisions for the Wildlife Act

- **Article 48A** of the Constitution of India directs the State to protect and improve the environment and safeguard wildlife and forests.
- **Article 51A** imposes fundamental duties to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wildlife and to have compassion for living creatures.

Schedules of The Wildlife (Protection) Act, 1972

- **Schedule I**
 - Specifies endangered species which need rigorous and absolute protection.
 - Species under this Schedule are prohibited to be hunted and traded throughout India, except under threat to human life.
 - **Examples:** Blackbuck, Indian lion, Tiger, Whale shark, sea horse
- **Schedule II**
 - Specifies species which need high protection.
 - Trade prohibited, cannot be hunted except under threat to human life.
 - **Examples:** Assamese macaque, salamander, beetles, civets, otters, Indian cobras, king cobra, mongooses.

- **Schedule III**

- Specifies species which are not endangered and include protected species.
- Penalty for violators is less compared to Schedules I and II.
- **Examples:** Barking deer, hyena, Nilgai, wild pig

- **Schedule IV**

- Specifies species which are not endangered and include protected species.
- **Examples:** Hares, Indian porcupine, birds like cranes, cuckoos etc

About

The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021

- **Aim:** To implement the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
- **Change in Schedules:**
 - It **reduces the total number of schedules to four** by eliminating the schedule for vermin species.
 - It reduces the number of schedules for specially protected animals to two.
 - It also **inserts a new schedule** for specimens listed under CITES.
- **Penalty:** The Act prescribes imprisonment terms and fines for violating the provisions of the Act. The Bill increases these fines.

Type of Violation	1972 Act	2021 Bill
General violation	Up to Rs 25,000	Up to Rs 1,00,000
Specially protected animals	At least Rs 10,000	At least Rs 25,000

Image Source: PRS

- **Control and Regulation:** Apart from states, the Centre too can notify a conservation reserve — an area adjacent to national parks and sanctuaries.

- **Captive Animals:** Any person to voluntarily surrender any captive animals or animal products for which no compensation will be awarded and the items will become the property of the state government.
- **Invasive alien species:** The Bills empower the central government to regulate or prohibit the import, trade, possession or proliferation of invasive alien species.
- **Obligations under CITES:** Central government to designate a:
 - **Management Authority:** It grants export or import permits for a trade of specimens.
 - **Scientific Authority:** It gives advice on aspects related to the impact on the survival of the specimens being traded.
- **Control of Sanctuaries:** The Bill **specifies that the actions of the Chief Warden** must be in accordance with the management plans for the sanctuary.
 - These plans will be prepared as per guidelines of the central government and as approved by the Chief Warden.

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

खबरों में क्यों?

हाल ही में, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

उद्देश्य:

- जंगली जानवरों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के शिकार को रोकें और नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करना।
- लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना।
- आश्रय और सुरक्षा प्रदान करना।
- कुछ संरक्षित प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध।
- देश की वनस्पतियों और जीवों की विविधता का संरक्षण करना।
- एक स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना।

वन्यजीव अधिनियम के लिए संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वन्य जीवन और वनों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51ए वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जीवित प्राणियों के लिए कठिनाई रखने के लिए मौलिक कर्तव्यों को लागू करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियां:

- **अनुसूची I**
 - लुप्तप्राय प्रजातियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें कठोर और पूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
 - इस अनुसूची के तहत प्रजातियों को मानव जीवन के लिए खतरे की स्थिति को छोड़कर, पूरे भारत में शिकार और व्यापार करने की मनाही है।
 - **उदाहरण:** काला हिरण, भारतीय शेर, बाघ, व्हेल शार्क, समुद्री घोड़ा
- **अनुसूची II**
 - उन प्रजातियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें उच्च सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
 - व्यापार निषिद्ध है, मानव जीवन के लिए खतरे के अलावा शिकार नहीं किया जा सकता है।
 - **उदाहरण:** असमिया मकाक, समन्दर, भृंग, सिवेट, ऊदबिलाव, भारतीय कोबरा, किंग कोबरा, नेवले

• अनुसूची III

- उन प्रजातियों को निर्दिष्ट करता है जो लुप्तप्राय नहीं हैं और संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं।
- उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड अनुसूचियों I और II की तुलना में कम है।
- **उदाहरण:** भौंकने वाला हिरण, लकड़बग्घा, नीलगाय, जंगली सुअर

• अनुसूची IV

- उन प्रजातियों को निर्दिष्ट करता है जो लुप्तप्राय नहीं हैं और संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं।
- **उदाहरण:** खरगोश, भारतीय साही, पक्षी जैसे सारस, कोयल आदि

के बारे में

वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

- **उद्देश्य:** वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करना।
- **अनुसूचियों में परिवर्तन:**
 - यह कृमि प्रजातियों के लिए अनुसूची को समाप्त करके अनुसूचियों की कुल संख्या को घटाकर चार कर देता है।
 - यह विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूचियों की संख्या को घटाकर दो कर देता है।
 - यह CITES के तहत सूचीबद्ध नमूनों के लिए एक नया शेड्यूल भी सम्मिलित करता है।
- **दंड:** अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। यह बिल इन जुर्मानों की राशि को बढ़ाता है।

Type of Violation	1972 Act	2021 Bill
General violation	Up to Rs 25,000	Up to Rs 1,00,000
Specially protected animals	At least Rs 10,000	At least Rs 25,000

छवि स्रोत: पीआरएस

- **नियंत्रण और विनियमन:** राज्यों के अलावा, केंद्र भी एक संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित कर सकता है - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे क्षेत्र।

- **बंदी पशु:** कोई भी व्यक्ति, यदि किसी भी बंदी पशु या पशु उत्पादों का स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करता है उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा और वह जीव या उत्पाद राज्य सरकार की संपत्ति बन जाएंगे।
- **आक्रामक विदेशी प्रजातियां:** यह बिल केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, कब्जे या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देते हैं।
- **CITES के तहत दायित्व:** केंद्र सरकार एक नामित करने के लिए:
 - **प्रबंधन प्राधिकरण:** यह नमूनों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट देता है।
 - **वैज्ञानिक प्राधिकरण:** यह व्यापार किए जा रहे नमूनों के अस्तित्व पर प्रभाव से संबंधित पहलुओं पर सलाह देता है।
- **अभयारण्यों का नियंत्रण:** बिल निर्दिष्ट करता है कि मुख्य प्रबंधक की कार्रवाई अभयारण्य के लिए प्रबंधन योजनाओं के अनुसार होनी चाहिए।
 - इन योजनाओं को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों और मुख्य प्रबंधक द्वारा अनुमोदन के अनुसार तैयार किया जाएगा।